

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-2122006 , दिनांक 2 जून, 2021

पत्र संख्या-वि0व0संग्रह/ ब्याज एवं अर्थदण्ड माफी योजना-21/2021-2022/137 /वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0
(संग्रह अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: 02 जून, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:-शासनादेश संख्या-238/11-2-2020-9(21)/2003, दिनांक 03 मार्च, 2021
द्वारा जारी उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम 1948, केन्द्रीय बिक्री कर
अधिनियम-1956, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008, उत्तर प्रदेश
प्रवेश कर अधिनियम-2007 एवं उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर
अधिनियम-1979 एवं तदधीन निर्मित नियमावली (मनोरंजन कर) तथा उत्तर
प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली 1997 के दिनांक 31.12.
2020 तक सृजित बकाये के ब्याज एवं अर्थदण्ड को माफ किये जाने हेतु ब्याज
माफी योजना-2021 की समयावधि को दिनांक 02.09.2021 तक बढ़ाये जाने के
सम्बन्ध में।


उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-505/11-2-2020-9(21)/2003, दिनांक 31.05.2021 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप उक्त शासनादेश से बढ़ायी गयी समयावधि (दिनांक 03 मार्च, 2021 से 02 सितम्बर, 2021 तक) के अन्तर्गत योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित मार्गदर्शन देते हुए व्यापारी वर्ग एवं व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों तथा अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों को शासनादेश की जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्य स्थानों जैसे स्वयं के कार्यालय, जिलाधिकारी, आयकर विभाग, मण्डी परिषद, रेलवे, मुख्य बाजारों एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय आदि के सामने योजना के प्रचार-प्रसार हेतु सूचना/होडिंग लगाने की व्यवस्था करें। समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अधिकाधिक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करायें। व्यापारियों को योजना के अन्तर्गत सहभागिता हेतु प्रेरित करने का भी कार्य किया जाना है। योजना के सफल क्रियान्वयन एवं व्यापारियों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने हेतु कार्ययोजना/कार्य वितरण के निर्देश परिपत्र संख्या-2021050, दिनांक 04 मार्च, 2021 द्वारा पूर्व में ही जारी किया गया है, तदनुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

पूर्व में ही योजना के ऑनलाइन व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यापारियों को लागिन एवं प्रयोग की विधि से अवगत कराने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-894/2021051, दिनांक 05 मार्च, 2021 द्वारा फील्ड के समस्त अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, जो पूर्ववत् ही रहेगा।

पूर्व की भौति योजना के अनुरूप बकायेदारों को लाभ यथासम्भव मिल सके, के लिए आवश्यक है कि अभिलेखों का परीक्षण प्राथमिकता के आधार पर कर लिया जाए एवं पूर्व की व्यवस्था से जी0एस0टी0 में माइग्रेटेड बकायेदार व्यापारियों को आवश्यक रूप से योजना से अवगत कराया जाये। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार ब्याज एवं अर्थदण्ड माफी हेतु नो-ड्यूज प्रमाण पत्र कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किया जाना है।

यह सम्पूर्ण योजना आनलाईन व्यवहरित होनी है। अतः विभागीय पोर्टल के माध्यम से ही अनुश्रवण किया जाएगा। पुनः आप से यह अपेक्षा की जाती है कि इस योजना का साप्ताहिक अनुश्रवण अपने स्तर से करते हुए अधिकाधिक राजस्व प्राप्ति में अपना योगदान सुनिश्चित करें, जिससे साप्ताहिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जा सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार



(मिनिस्ती एस.)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पू0 पत्र संख्या व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव, राज्य कर, अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील) वाणिज्य कर, लखनऊ।
4. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/कारपोरेट/मुख्यालय) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को जोनल एडीशनल कमिश्नर के माध्यम से।
5. समस्त कर निर्धारण अधिकारी को सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर के माध्यम से।
6. महालेखाकार, 171ए, अशोक नगर, प्रयागराज।
7. ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन हेतु।


एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।
o/c

संख्या-505 / 11-2-2021-9(21) / 2003

प्रेषक,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ० प्र०, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 31/05/2021

विषय:-उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1948, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम-2007 एवं उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979 एवं तदधीन निर्मित नियमावली (मनोरंजन कर) तथा उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली-1997 के अंतर्गत दिनांक 31.12.2020 तक सृजित बकाये के ब्याज एवं अर्थदण्ड को माफ किये जाने हेतु ब्याज माफी योजना-2021 की समयावधि को बढ़ाया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-वि०व०संग्रह/2021-22/103/वाणिज्य कर, दिनांक 24.05.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-238/11-2-2021-9(21)/2003, दिनांक 03.03.2021 द्वारा निर्गत ब्याज माफी योजना-2021 के प्रस्तर-2(ii) के अन्तर्गत निहित शर्त कि " ब्याज माफी योजना-2021 शासनादेश जारी होने की तिथि से कुल 03 माह तक प्रचलित रहेगी" को निम्नवत संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

"2(ii) यह योजना दिनांक 03 मार्च 2021 से दिनांक 02.09.2021 तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।"

3- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 03.03.2021 की समस्त शर्तें एवं प्रावधान यथावत रहेंगे।

भवदीय
Digitally signed by संजीव
मित्तल
Date: Mon May 31 16:53:39 IST
2021 (संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव